



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072026-274813
CG-DL-E-25072026-274813

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3821]

No. 3821]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2026/आषाढ 30, 1948

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2026/ASHADHA 30, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2026

का.आ. 3991(अ).— केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं.का. आ. 1717 तारीख 01 अक्तूबर, 2025 जो भारत के राजपत्र, भाग - 2, खण्ड - 3 उप-खण्ड (ii), तारीख 04 अक्तूबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 138.80 एकड़ (लगभग) या 56.17 हेक्टेयर (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विहित की गई उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 138.80 एकड़ (लगभग) या 56.17 हेक्टेयर (लगभग) माप की उक्त भूमि के सभी अधिकार के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पण-1: इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक धारक संख्या आरईवी/01/2026, तारीख 17 जनवरी, 2026 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला चतरा (झारखंड) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5वां तल, कोर -II, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 के कार्यालय में या महाप्रबंधक पिपरवार क्षेत्र, जिला -चतरा (झारखंड) के कार्यालय में या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची (झारखंड) 834001 या मुख्य महाप्रबंधक (गवेषण विभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, राँची (झारखंड) 834008 में किया जा सकता है।

टिप्पण 2: उपरोक्त अधिनियम की उपधारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है: -

“8. अर्जन की बाबत आपत्तियाँ.- (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के जारी किए जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के अधीन यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम अधिकारी, आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में किसी हित का दावा करने का हकदार हो, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं।”

टिप्पण - 3: केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5वां तल्ला, कोर - II, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092 को उक्त अधिनियम की धारा (3) के अधीन अधिसूचना संख्या का.आ. 2518, तारीख 27 मई 1983, जो भारत के राजपत्र भाग - 2, खंड (3), उपखंड (ii) में 11 जून 1983 में प्रकाशित की गई, सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

अशोक विस्तार ब्लॉक अशोक ओसीपी

जिला : चतरा (झारखण्ड)

[रेखांक धारक संख्या आरईवी/01/2026, तारीख 17 जनवरी, 2026]

सभी अधिकार

क्र. सं.	ग्राम/मौज़ा	थाना सं.	तहसील/अंचल	जिला	रैयती	सरकारी	वन भूमि	कुल (हेक्टेयर)	अभ्युक्ति	अधिकार
1	कोइलारा	89	टंडवा	चतरा	0.22	0.48	55.47	56.17	भाग	सभी अधिकार

1. अशोक विस्तार ब्लॉक अशोक ओसीपी हेतु अधिग्रहण के अधीन प्लॉटों का विवरण :

ग्राम: कोईलारा:

प्लॉट संख्या -237 (भाग), 429, 430 (भाग), 431 (भाग), 432 (भाग), 459 (भाग) एवं 467.

सीमा वर्णन:

क्र. सं.	सीमा रेखा	सीमा वर्णन
1	ए – बी – सी – डी – ई – एफ – जी – एच – ए	रेखा बिंदु 'ए' से आरंभ होकर बिन्दु बी, सी, डी, ई, एफ, जी एवं एच से गुजरते हुए आरंभिक बिंदु 'ए' पर मिलती है।

[फ़ा. सं. 43015/14/2025-एलएआईआर]

डॉ. गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2026

S.O. 3991(E).— Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1717 dated the 1st October, 2025 issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957(20 of 1957) (hereinafter referred to as the said act) and published in the in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 4th October, 2025, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 138.80 acres (approximately) or 56.17 hectares (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 138.80 acres (approximately) or 56.17 hectares (approximately) and all rights in or over the said lands as described in the schedule appended hereto;

Note 1: The plan bearing number Rev/01/2026, dated the 17th January, 2026, the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Chatra (Jharkhand) or at the Office of the Coal Controller, Coal Controller's Organization, Ministry of Coal, SCOPE MINAR, 5th Floor, Core – II, Laxmi Nagar, Delhi – 110092 or at the office of the General Manager, Piparwar Area, Dist.- Chatra, Jharkhand or General Manager (Land & Revenue), Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi-834001 or General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi-834008.

Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows:

“8. Objections to acquisition. (1) - Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or over such land.

Explanation - It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either makes a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of the Government.

(3) For the purposes of the section, a person shall be deemed to be interested in land, who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.”

Note 3: The Coal Controller, Coal Controller's Organisation, Ministry of Coal, SCOPE MINAR, 5th Floor, Core – II, Laxmi Nagar, Delhi - 110092 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S.O. 2518 dated the 27th May, 1983 published in part-II, section - 3, sub-section (ii) of the gazette of India dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE

ASHOK EXPANSION BLOCK OF ASHOK OCP

DISTRICT – CHATRA (JHARKHAND)

[Plan bearing number REV/01/2026 dated the 17th January, 2026]

All Rights:

Sl. No.	Name of Village	Patwari Circle Number	Tahsil	District	Tenancy	Government	Forest	Total (in Ha)	Remarks	Rights
1	Koilara	89	Tandwa	Chatra	0.22	0.48	55.47	56.17	Part	All Rights

1. Details of Plots under acquisition for Ashok Expansion Block of Ashok OCP:

Village – Koilara:

Plot No. – 237(P), 429, 430(P), 431(P), 432(P), 459(P) and 467.

Boundary Description:

Sl. No.	Boundary Line	Boundary Description
1	A – B – C – D – E – F – G – H – A	Line starts from point 'A' and passes through points B, C, D, E, F, G and H and meets at starting point 'A'.

[F. No. 43015/14/2025-LAIR]

DR. GOPAL SINGH, Jt. Secy.